भारत शासन अधिनियम, 1919

परिचय

पृष्ठभूमि

वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सेमुअल मांटेग्यू (Edwin Samuel Montagu) और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसे मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड (या मोंट-फोर्ड) सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया।

वर्ष 1921 में मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया।

इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था।

अधिनियम ने केंद्र के साथ-साथ प्रांतीय स्तरों पर शासन में सुधारों की शुरुआत की।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

केंद्र स्तरीय सरकार:

- **विषय:**
  - ऐसे मामले जो राष्ट्रीय महत्त्व के थे या एक से अधिक प्रांतों से संबंधित थे, केंद्र स्तरीय सरकार द्वारा शासित थे, जैसे: विदेश मामले, रक्षा, राजनीतिक संबंध, सार्वजनिक ऋण, नागरिक और आपराधिक कानून, संचार सेवाएँ आदि।
  - इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधायिका को अधिक शक्तिशाली और जवाबदेह बनाया गया।
- **कार्यपालिका:**
  - इस अधिनियम ने गवर्नर-जनरल को मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी बनाया।
  - वायसराय की कार्यकारी परिषद में आठ सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया जिसमें तीन भारतीय सदस्यों को शामिल करना था।
  - गवर्नर जनरल को अनुदानों में कटौती करने का अधिकार था, वह केंद्रीय विधायिका द्वारा लौटा दिये गए बिलों को प्रमाणित कर सकता था तथा अध्यादेश जारी कर सकता था।
- **विधानमंडल में सुधार:**
  - द्विसदनीय विधानमंडल: अधिनियम में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई जिसमें **निम्न सदन** या **केंद्रीय विधानसभा** (Lower House or Central Legislative Assembly) और **उच्च सदन** या **राज्य परिषद** (Upper House or Council of State) शामिल थी।
  - नए सुधारों के तहत अब केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य को सरकार से प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न करने, स्थगन प्रस्ताव पारित करने तथा बजट के हिस्से पर मतदान करने का अधिकार था लेकिन अभी भी बजट के 75% हिस्से पर मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था।
  - विधायिका का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद पर वस्तुतः कोई नियंत्रण नहीं था।
  - **निम्न सदन की संरचना:** निम्न सदन में 145 सदस्य थे, जो या तो मनोनीत थे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से चुने गए थे। इसका कार्यकाल 3 वर्ष था।
    - 41 मनोनीत (26 आधिकारिक और 15 गैर-सरकारी सदस्य)
    - 104 निर्वाचित (52 जनरल, 30 मुस्लिम, 2 सिख, 20 विशेष)।
  - **उच्च सदन की संरचना:** उच्च सदन में 60 सदस्य थे। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था और इस सदन में केवल पुरुष सदस्य को ही शामिल किया गया था।
    - 26 मनोनीत
    - 34 निर्वाचित (20 जनरल, 10 मुस्लिम, 3 यूरोपीय और 1 सिख सदस्य)
- **वायसराय की शक्तियाँ:**
  - वायसराय को विधायिका को संबोधित करने का अधिकार था।
  - उसे बैठकों को आहूत करने, स्थगित करने या विधानमंडल को निरस्त या खंडित करने का अधिकार प्राप्त रहा।

- वधायकिा का कार्यकाल ३ वर्ष का था, जसिे वायसराय अपने अनुसार बढ़ा सकता था।
- **केंद्रीय वधिानमंडल की शक्तयिाँ:**
  - केंद्र सरकार को प्रांतीय सरकारों पर अप्रतबिंधति नयिंत्रण प्राप्त था।
  - केंद्रीय वधायकिा को संपूर्ण भारत के लयि, सभी अधकिारयिों और आम लोगों हेतु कानून बनाने के लयि अधकिृत कयिा गया था, चाहे वे भारत में हों या नहीं।
- **केंद्रीय वधायकिा पर प्रतबिंध:**
  - वधायकिा पर कुछ प्रतबिंध लगाए गए थे:
    - कसिी वधियेक को पेश करने हेतु गवर्नर जनरल की अनुमतप्राप्त करना आवश्यक था, जैसे- मौजूदा कानून में संशोधन या गवर्नर जनरल के अध्यादेश में संशोधन, वदिेशी संबंध और भारतीय राज्यों, सशस्त्र बलों के साथ संबंध के मामले।
  - भारतीय वधायकिा भारत के संबंध में ब्रटिशि संसद द्वारा पारति कसिी भी कानून को बदल या उलट नहीं सकती थी।

प्रांत स्तरीय सरकार:

- **वषिय:**
  - इसमें वे मामले शामलि थे जो एक वशिष्टि प्रांत से संबंधति थे जैसे:
    - सार्वजनकि स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शक्षिा, सामान्य प्रशासन, चकित्सिा सुवधिाएँ, भूमि-राजस्व, जल आपूर्तअिकाल राहत, कानून और व्यवस्था, कृषआिदि।
- **द्वैध शासन की शुरुआत:**
  - इस अधनियिम ने प्रांतीय स्तर पर कार्यपालकिा हेतु द्वैध शासन प्रणाली (दो व्यक्तयिों/पार्टयिों का शासन) की शुरुआत की।
  - द्वैध शासन (Diarchy) को आठ प्रांतों में लागू कयिा गया था जसिमें
    असम, बंगाल, बहिार और उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब प्रांत शामलि थे।
  - द्वैध शासन व्यवस्था के तहत प्रांतीय सरकारों को अधकि अधकिार प्रदान कयि गए थे।
  - गवर्नर प्रांत का कार्यकारी प्रमुख था।
- **वषियों का वभिाजन:**
  - वषियों को दो सूचयिों में वभिाजति कयिा गया था: **'आरक्षति'** और **'स्थानांतरति'**। आरक्षति सूची में शामलि वषियों का प्रशासन गवर्नर द्वारा नौकरशाहों की कार्यकारी परषिद के माध्यम से कयिा जाना था।
    - इसमें कानून और व्यवस्था, वत्ति, भू-राजस्व, सचिाई आदजिैसे वषिय शामलि थे।
    - सभी महत्त्वपूर्ण वषिय को प्रांतीय कार्यकारणिी के आरक्षति वषियों में शामलि कयिा गया।
    - हस्तांतरति वषियों को वधिान परषिद के नर्विाचति सदस्यों में से मनोनीत मंत्रयिों द्वारा प्रशासति कयिा जाना था।
    - इसमें शक्षिा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि, उत्पाद शुल्क आदवषिय शामलि थे।
  - प्रांत में संवैधानकि तंत्र के वफिल होने की स्थतिमिें गवर्नर हस्तांतरति वषियों का प्रशासन भी अपने हाथ में ले सकता था।
- **हस्तक्षेप पर प्रतबिंध :**
  - भारत के राज्य सचवि और गवर्नर जनरल आरक्षति वषियों (Reserved Subjects) के संबंध में हस्तक्षेप कर सकते थे, जबकि स्थानांतरति वषियों (Transferred Subjects) के संबंध में उन्हें हस्तक्षेप करने का अधकिार प्राप्त नहीं था।
- **वधिानमंडल में सुधार:**
  - प्रांतीय वधिान परषिदों का और अधकि वस्तिार कयिा गया तथा 70% सदस्यों का चुनाव कयिा जाना था।
  - सांप्रदायकि (Communal) और वर्गीय मतदाताओं (class electorates) की व्यवस्था को और मज़बूत कयिा गया।
  - महलिाओं को भी वोट देने का अधकिार दयिा गया।
  - वधिान परषिदें बजट को अस्वीकार कर सकती थी लेकनि यदआिवश्यक हो तो गवर्नर इसे पुनः बहाल कर सकता था।
  - वधायकों (Legislators) को बोलने की स्वतंत्रता थी।
- **गवर्नर की शक्तयिाँ:**
  - गवर्नर जन्हिें वह आवश्यक समझे, मंत्रयिों को कसिी भी आधार पर बर्खास्त कर सकता था। साथ ही उसने वत्ति पर पूर्ण नयिंत्रण बनाए रखा।
  - वधिान परषिदें कानून नर्मिाण की प्रक्रयिा शुरू कर सकती थीं लेकनि उसके लयि गवर्नर की सहमतकिी आवश्यकता थी।
  - गवर्नर को वधियेक पर वीटो शक्तकिा अधकिार था तथा वह अध्यादेश जारी कर सकता था।

अधनियिम का महत्त्व:

- **भारतीयों में जागृति:** इस अधनियिम के माध्यम से भारतीयों को प्रशासन के बारे में गुप्त सूचना मलिी और वे अपने कर्तव्यों के प्रतजिागरूक हुए।
  - इससे भारतीयों में राष्ट्रवाद और जागृतकिी भावना पैदा हुई और वे स्वराज के लक्ष्य (Goal of Swaraj) को प्राप्त करने की दशिा में आगे बढ़े।
- **मतदान के अधकिारों का वस्तिार:** भारत में चुनाव क्षेत्रों का वस्तिार हुआ जसिसे लोगों में मतदान के महत्त्व के प्रतसिमझ बढ़ी।
- **प्रांतों में स्वशासन:** इस अधनियिम ने भारत में प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत की।
  - इस अधनियिम ने लोगों को प्रशासन करने का अधकिार प्रदान कयिा जसिसे सरकार पर प्रशासनकि दबाव बहुत कम हो गया।
  - इसने भारतीयों को प्रांतीय प्रशासन में ज़म्मिेदारयिों का नर्विहन करने हेतु तैयार कयिा।

अधनियिम की कमयिाँ:

- **गैर-ज़मि्मेदार केंद्र सरकार:** अधनियिम में अखलि भारतीय स्तर पर कसिी भी ज़मि्मेदार सरकार की परकिल्पना नहीं की गई।
- **सांप्रदायकिता का प्रसार:** त्रुटपिूर्ण चुनावी प्रणाली और सीमति मताधकिार लोकप्रयिता हासलि करने में वफिल रहे। एक अलग चुनावी प्रणाली ने सांप्रदायकिता की भावना को बढ़ावा दयिा।
- **मतदाताओं का सीमति वसि्तार:** केंद्रीय वधिायकिा में मतदाताओं की संख्या लगभग 1.5 मलियिन तक बढ़ा दी गई थी, जबकि एक अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 260 मलियिन थी।
- **प्रशासनकि नयिंत्रण का अभाव:** केंद्र में वायसराय और उसकी कार्यकारी परषिद पर वधिायकिा का कोई नयिंत्रण नहीं था।
    - प्रांतीय मंत्रयिों का वति्त और नौकरशाहों पर कोई नयिंत्रण नहीं था; इससे दोनों के मध्य लगातार संघर्ष की स्थति बिनी हुई थी ।
    - मंत्रयिों से अक्सर महत्त्वपूर्ण मामलों पर भी परामर्श नहीं कयिा जाता था और गवर्नर द्वारा कसिी भी मामले पर जसिे बाद में वशिेष माना जाता था, उसे खारजि कर दयिा जाता था।
    - गवर्नर को अप्रतबिंधति शक्तयिाँ प्राप्त थीं, वह अपनी परषिद और मंत्रयिों के नर्णिय के वरिुद्ध भी नर्णिय ले सकता था
        - प्रशासन से संबंधति लगभग सभी महत्त्वपूर्ण मामले राज्यपाल पर नर्भिर थे।
- **वषियों का अनुपयुक्त वभिाजन:** केंद्र में वषियों का वभिाजन उचति एवं संतोषजनक नहीं था।
    - केंद्रीय वधिायकिा को बहुत कम शक्त दिी गई थी और वति्त पर उसका कोई नयिंत्रण नहीं था।
    - प्रांतों के स्तर पर, वषियों का वभिाजन और समानांतर प्रशासन दोनों ही तर्कहीन एवं अव्यावहारकि थे। सचिाई, वति्त, पुलसि, प्रेस और न्याय जैसे वषिय 'आरक्षति' श्रेणी में शामलि थे।

अधनियिम के परणिाम:

- **सार्वजनकि प्रतकि्रयिा:** कॉन्ग्रेस ने अगस्त 1918 में हसन इमाम की अध्यक्षता में बॉम्बे में एक वशिेष सत्र में बैठक की और सुधारों को "नरिाशाजनक" एवं "असंतोषजनक" घोषति कयिा तथा इसके स्थान पर प्रभावी स्वशासन की माँग की।
    - बाल गंगाधर तलिक (Bal Gangadhar Tilak) द्वारा मोंटफोर्ड सुधारों को "अयोग्य और नरिाशाजनक - एक धूप रहति सुबह" कहा गया था।
    - एनी बेसेंट ने सुधारों को "इंग्लैंड के प्रस्ताव के योग्य और भारत को स्वीकार करने के लयि अयोग्य" पाया।
    - सुरेंद्रनाथ बनर्जी (Surendranath Banerjea) के नेतृत्व में वयोवृद्ध कॉन्ग्रेसी नेता सरकारी प्रस्तावों को स्वीकार करने के पक्ष में थे।
- **शक्त हिेतु संघर्ष:** अधनियिम ने भारतीयों और अंग्रेज़ों दोनों में सत्ता के लयि संघर्ष को प्रोत्साहति कयिा।
    - परणिामस्वरूप बड़ी संख्या में सांप्रदायकि दंगे हुए जो वर्ष 1922 से 1927 तक जारी रहे।
    - वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी (Swaraj Party) की स्थापना हुई तथा उसने चुनावों में मद्रास को छोड़कर पर्याप्त संख्या में सीटें जीती।
        - जबकि पार्टी बंबई और मध्य प्रांतों में मंत्रयिों के वेतन के साथ अन्य वस्तुओं की आपूर्त को अवरुद्ध करने में सफल रही।
        - इस प्रकार दोनों प्रांतों के गवर्नरों को द्वैध शासन को समाप्त करने हेतु मजबूर होना पड़ा और स्थानांतरति वषियों को अपने नयिंत्रण में ले लयिा गया।
- **रॉलेट एक्ट अधनियिमन:** भारतीयों को शांत करने के लयि भारत सरकार दमन के लयि तैयार थी।
    - पूरे युद्ध के दौरान राष्ट्रवादयिों का दमन जारी रहा। क्रांतकिारयिों का दमन कयिा गया, उन्हें फाँसी दी गई और जेल में डाल दयिा गया।
    - मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (Maulana Abul Kalam Azad) जैसे कई अन्य राष्ट्रवादयिों को भी जेल में डाल दयिा।
    - सरकार ने अब खुद को और अधकि दूरगामी शक्तयिों से लैस करने का फैसला कयिा, जो कानून के शासन के स्वीकृत सद्धिांतों के खलिाफ थी, ताकि उन राष्ट्रवादयिों की आवाज को दबाया जा सके जो सरकारी सुधारों से संतुष्ट नहीं थे।
    - मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट (Rowlatt Act) पारति कयिा, हालाँकि केंद्रीय वधिान परषिद के प्रत्येक भारतीय सदस्य ने इसका वरिोध कयिा।
        - इस अधनियिम ने सरकार को राजनीतकि गतविधियिों को दबाने के लयि अधकिार प्रदान कयि और दो साल तक बनिा कसिी मुकदमे के राजनीतकि कैदयिों को हरिासत में रखने की अनुमत दी।।
        - इस अधनियिम ने सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) के अधकिार को नलिंबति करने का अधकिार प्रदान कयिा जसिने ब्रटिेन में नागरकि स्वतंत्रता की नींव रखी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/government-of-india-act-1919